उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि.
१७, गोखले मार्ग, लखनऊ

संख्या : ४२२७/२६–६–२००३–२६६–सा०/२००३

प्रेषक,

अनिल कुमार गुप्ता
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य तथा रसद अनुभाग–६ लखनऊ : दिनांक १५ जनवरी, २००४

विषय : लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत–ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उचित दर दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न/चीनी की धनराशि जमा करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–एफ०–१०६३/२६–६–६०, दिनांक २० फरवरी, १६६० तथा शासनादेश संख्या–२२७६/२६–६–१००–७५, दिनांक ०६ अप्रैल, १६६० का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उचित दर के दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न/चीनी के आवंटन/उठान की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, परंतु यह देखने में आया है कि उक्त व्यवस्था का सम्यक् पालन क्षेत्र स्तर पर न होने के कारण खाद्यान्न के व्यवर्तन तथा दुरूप्योग पर अपेक्षित नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।

अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था में सुदढ़ीकरण के दष्टिगत गठित समिति के संस्तुतियों के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उचित दर दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न/चीनी के उठान एवं धनराशि जमा करने के संबंध में निम्नवत संशोधित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाये–

(१) प्रत्येक शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के राशन दुकानदार द्वारा यथा संभव ''राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाता'' के नाम से खोले गये खाते से संबंधित बैंक में चालू खाता खोला जायेगा। चालू खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र पर राशन के दुकानदार का हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण शहरी क्षेत्र में पूर्ति निरीक्षक एवं जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ति निरीक्षक एवं उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(२) दुकानदार बैंकर्स चेक को बनवाने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर को पुनः गोदाम प्रभारी से प्रमाणित कराकर बैंक को बैंकर्स चेक जारी करने हेतु प्रस्तुत करेगा।

(३) बैंकर्स चेक जारी होने के पश्चात मांगपत्र के साथ उसे केन्द्र प्रभारी को प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर उसे निकासी दी जायेगी।

(४) दुकानदारों को खाद्यान्न/चीनी के आवंटन की जानकारी आपूर्ति कार्यालय द्वारा दी जायेगी।

शेष कार्यवाही शासनादेश संख्या–एफ०–१०६३/२६–६–६०, दिनांक २० फरवरी, १६६० एवं शासनादेश संख्या–२२७६/२६–६–१००–७५, दिनांक ०६ अप्रैल, १६६० में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाये। जिन–जिन जनपदों में उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा राशन दुकानदारों को खाद्यान्न की निकासी दी जा रही है यहाँ भी बैंकर्स चेक की उपरोक्त व्यवस्था के माध्यम से ही खाद्यान्न निकासी दी जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस संशोधित व्यवस्था के अनुसार जनपद तथा क्षेत्र स्तर पर इस प्रकार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय कि खाद्यान्न/चीनी के उठान में बाधा न उत्पन्न होने पाये अर्थात यदि संशोधित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही में बिलम्ब अथवा व्यवधान किसी कारणवश अनुभव किया जाता है, तो पूर्व व्यवस्था के अनुसार खाद्यान्न/चीनी का उठान किया जाय, जब तक कि संशोधित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही पूरी न कर ली जाय।

भवदीय

(अनिल कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

१. आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० जवाहरभवन, लखनऊ।
२. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
३. समस्त मण्डलीय सहायक आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।
४. समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेशे।
५. सामस्त अपर जिलाधिकारी, आपूर्ति, उत्तर प्रदेश।
६. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त प्रतियां इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी परगनाधिकारी, डिप्टी आर०एम०ओ०, गोदाम प्रभारी डिस्पेच को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
७. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।
८. प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
९. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार चौधरी)
विशेष सचिव